न्यायालय अपील अधिकारण (जिलामजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हिमांशु गुप्ता, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या : 03 / 2022

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
1– कालू खां उर्फ इंसाफ अली आयु 72 वर्ष जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला लायकान, गोरियों की पोल, मस्जिद वाली गली,. जोधपुर।		1– हसन पुत्र कालू खां 2– श्रीमती कायनात पत्नी हसन जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला लायकान, गोरियों की पोल, मस्जिद वाली गली, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.01.2022 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी उत्तर) जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 57 / 2021 बअनवान कालू खां बनाम हसन में पारित किया गया।

उपस्थितिः–
1– अपीलार्थी स्वयं।
2– प्रत्यर्थीया 2 स्वयं।
3– प्रत्यर्थीया–1 अनुपस्थित।

आदेश दिनांक 18.04.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:35:26 IST
Reason: Sentenced

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी उत्तर) जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत पेश करते हुए अप्रार्थी / प्रत्यर्थी–1 से 10000 / – रूपये तथा प्रार्थी की स्वअर्जित आय से प्राप्त मकान से अप्रार्थीगण / प्रत्यर्थीपक्ष को बेदखल करने का पेश किया जिस पर उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी उत्तर) जोधपुर द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

दिनांक 05.01.2022 को निरस्त कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर (03/2022) कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी कर अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। प्रत्यर्थीपक्ष–1 व 2 के नोटिस बाद तामील लौटे तथा दिनांक 29.03.2022 को प्रत्यर्थीपक्ष 2 उपस्थित हुई तथा प्रत्यर्थीपक्ष–1 अनुपस्थित रहा । दिनांक 13.04.22 को अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीपक्ष–2 उपस्थित हुए जिनकी बहस सुनी गई।

अपीलार्थी ने बहस में बतलाया कि वो 70–72 वर्ष का वृद्ध है। अपीलार्थी के तीन पुत्र व चार पुत्रियां है। दो पुत्र अपीलार्थी से अलग अपने अपने घर में निवास करते है। अपीलार्थी का पुश्तैनी मकान किले की घाटी, मस्जिद की गली जोधपुर में स्थित है जिसमे रेस्पोपक्ष जबरदस्ती कर अपीलार्थी के मकान में कब्जा कर रखा है। बहस में यह भी बतलाया कि उसने उपखण्ड अधिकरण जोधपुर के समक्ष अपीलार्थी का स्वअर्जित आय से मकान खरीद किया उसमें अप्रार्थीपक्ष निवास कर रहे है, को बेदखल करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो निरस्त कर दिया गया जो माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के उद्धेश्यो के विपरित किया गया। अन्त में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने तथा रेस्पो.पक्ष को अपीलार्थी के स्वअर्जित मकान से बेदखल करने की प्रार्थना की।

रेस्वो.–2 ने बहस बहस में कहा कि अप्रार्थी–1 हसन अपीलार्थी/प्रार्थी का पुत्र है तथा अप्रार्थी–2 अपीलार्थी की पुत्रबधु है। अपीलार्थी के साथ कभी लड़ाई झगड़ा या मारपीट नहीं करते है। अपीलार्थी का पुत्र हसन मजदूरी करता है तथा वो शराब का सेवन करता है तथा पूरी कमाई भी नहीं करता है वो अपने घर का मुश्किल से खर्चा चलाती है। अपीलार्थी जबरदस्ती से उन्हें मकान से बेदखल करना चाहते है। बहस में यह भी बतलाया कि अपीलार्थी के दो पुत्र और है फिर भी भरण पोषण की राशि की मांग प्रत्यर्थीगण से ही करते है। बहस के अन्त मे अपील निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अप्रार्थी/प्रत्यर्थीपक्ष ने जबाब पेश किया जबाब में अप्रार्थी–1 की मजदूरी 7–8 हजार प्रतिमाह आय है। प्रत्यर्थीपक्ष/अप्रार्थीपक्ष की 24–25 हजार रूपये प्रतिमाह हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पेश हुए, न अपील के साथ पेश हुए। अतः प्रत्यर्थीपक्ष की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विवादग्रस्त मकान से बेदखली का आदेश देना उचित नहीं समझते है, परन्तु अपीलार्थी एक वरिष्ठ नागरिक है तथा सेवा चाकरी करने का प्रत्यर्थीपक्ष का दायित्व बनता है अतः प्रत्यर्थीपक्ष को सेवा चाकरी करने, अपीलार्थी के साथ किसी प्रकार से मारपीट व लड़ाई झगड़ा न करने तथा अपीलार्थी के स्वामित्व वाले उक्त मकान में रहने की किसी प्रकार की बाधा नहीं करने बाबत् अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested

वाले उक्त मकान में रहने की किसी प्रकार की बाधा नहीं करने बाबत् अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जता है तथा थानाधिकारी सदर कोतवाली को निर्देशित किया जाता है कि वो किसी सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयं सेवक के साथ अपीलार्थी (वरिष्ठ नागरिक) से भेंट करते रहे एवं उनकी परिवादों/समस्याओं पर ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही भी करे। उपरोक्तानुसार अपील का निर्णय किया जाता है। आदेश की प्रति मय मूल अभिलेख अधीनस्थ अधिकरण तथा थानाधिकारी सदर कोतवाली, पुलिस कमीशनरेट जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:35:26 IST
Reason: SelfAttested